जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 17.09.2025 को अपरान्ह् 03:30 बजे नारकोटिक्स (NCORD) से संबंधित बैठक

चर्चा के मुख्य बिन्दु

क्षेत्रीय निदेशक, नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा नामित सदस्य, क्षेत्राधिकारी, इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) जनपद सम्भल, पुलिस एवं आबकारी विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर मुखबिरी तंत्र विकसित करते हुए अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री को पूर्णतः प्रतिबन्धित किये जाने हेतु प्रवर्तन मूलक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में –

व्यापार कर सम्भल, केन्द्रीय माल और सेवाकर, सम्भल, पुलिस एवं आबकारी विभाग सम्भल रोड चैकिंग के दौरान विशेषकर राज्यीय/अन्तर्राज्यीय गांजे/मादक पदार्थों की तस्करी कर जनपद में दाखिल होने वाले मुख्य राजमार्गों पर संदिग्ध वाहनो की सघन जाँच किये जाने के सम्बन्ध में –

चिकित्सा विभाग एवं औषधि प्रशासन– कार्यालय आयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रशासन लखनऊ उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या– ड्रग ***/8322/*** लखनऊ दिनांक 15.08.2022 के अन्तर्गत अंकित औषधियों को विक्रय एवं भण्डारण की सीमा निर्धारित की गयी है। समस्त दवा विक्रेताओं को नोटिस जारी कर, बिना प्रिस्क्रिप्शन के नारकोटिक्स दवाई न दिये जाने एवं प्रिस्क्रिप्शन पर भी एक सप्ताह से अधिक की दवाई न दिये जाने एवं ग्राहक की प्रिस्क्रिप्शन व आई0डी0 लेकर मनःप्रभावी औधषि की बिक्री करने हेतु निर्देशित किया जाये। थोक एवं फुटकर विक्रयकर्ता मेडिकल स्टोर्स पर पुलिस, आबकारी एवं औषधि प्रशासन विभाग सतत निगरानी रखने तथा मनःप्रभावी औधषि यथा कोडीन **(Codeine),** ऐल्प्रक्स **(alprax)** आदि की चैकिंग किये जाने के सम्बन्ध में –

वन विभाग एवं कृषि विभाग नारकोटिक्स पदार्थों पर नियंत्रण एवं रोकथाम के लिये प्रभावी कार्यवाही किये जाने, जिले में अफीम या भांग की फसल की अवैध खेती की निगरानी किये जाने के सम्बन्ध में –

जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं समाज कल्याण विभाग एक युद्ध नशे के विरूद्ध के तहत जनपद में स्थित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के बीच ड्रग्स एवं नशीली दवाओं के दुरूपयोग के संबंध में प्रत्येक विद्यालय में एक **''युद्ध नशे के विरूद्ध''** विषय पर निबन्ध, प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन प्रत्येक शनिवार को तथा प्रतिदिन प्रार्थना स्थल पर बच्चों को नशीले पदार्थों के दुरूप्योग के विरूद्ध प्रतिज्ञा दिलाते हुए उक्त के सेवन से दूर रहने हेतु प्रोत्साहित किया जाये।

समाज कल्याण– प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा द्वारा **COTPA (Cigarettes and Other Tabacco Products Act.)** अधिनियम लागू कराया गया है एवं सहायता हेतु टोल फ्री नं. जारी किया गया है तथा ''प्रहरी'' नाम से वालंटियर ग्रुप बनाया गया है। शासनादेश में राज्य विश्वविधालय /डिग्री कालेज के 100 मीटर की सीमा में कोई तम्बाकू की दुकान न हो। इसका कड़ाई से अनुपालन कराने तथा सभी शिक्षण संस्थानों में नशे के दुरूपयोग के विरूद्ध जागरूकता कार्यक्रमों को व्यापक रूप से आयोजित करने एवं शिक्षक वर्ग को भी सभी प्रकार के नशे की मूलभूत जानकारी देकर प्रशिक्षित किये जाने के निर्देश जारी किये गये है।

समस्त उप जिलाधिकारी एवं समस्त पुलिस उपाधीक्षक, जनपद सम्भल–किसी भी स्कूल/कालेज के पास 100 मी0 के दायरे में तम्बाकू को प्रतिबन्धित किया जाये। सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिबन्धित मादक पदार्थों का विक्रय एवं सेवन न हो सके, इस हेतु सघन जांच, निरीक्षण एवं आकस्मिक चैकिंग करायी जाये।

बिन्दु संख्या–1

मुल्ला असद नामक व्यक्ति के विरूद्ध एन.डी.पी.एस. के कई मुकदमें है। पुलिस निरीक्षक (एन.डी.पी.एस.) एवं थानाप्रभारी, थाना नखासा सम्भल पीट एन.डी.पी.एस. (PIT NDPS) के अन्तर्गत उक्त के विरूद्ध कार्यवाही कर आगामी बैठक में अवगत करायेगें।

(कार्यवाही पुलिस निरीक्षक (एन.डी.पी.एस.) एवं थानाप्रभारी, थाना नखासा सम्भल)

बिन्दु संख्या–1 की अनुपालन आख्या

मुल्ला असद के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। जनपद में पुलिस विभाग, इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) सम्भल एवं आबकारी विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर प्रभावी मुखबिर तन्त्र विकसित किया जा रहा है। वर्तमान मे नारकोटिक्स ड्रग्स/मादक पदार्थों आदि की तस्करी/बिक्री की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

बिन्दु संख्या नं0–2

भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा विकसित मानस पोर्टल एवं समग्र भारत में ड्रग्स की शिकायतों हेतु जारी हेल्प लाईन नं0. 1933 का प्रचार–प्रसार किये जाने से उक्त हेल्पलाईन नं0 पर कितने शिकायते प्राप्त हुई हैं। शिकायतों का विवरण पुलिस विभाग को उपलब्ध कराते हुए कार्यवाही करायी जाये।

(कार्यवाही समस्त पुलिस क्षेत्राधिकारी/नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो, लखनऊ)

बिन्दु सं.–2 के अनुपालन आख्या

आबकारी विभाग, जनपद सम्भल द्वारा ''एक युद्ध नशे के विरूद्ध'' अभियान के अन्तर्गत नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो द्वारा जारी टोल फ्री नंम्बर का निम्नानुसार महाविद्यालयों, सरकारी कार्यालयों, नगरपालिका, नगरपंचायत एवं ग्राम पंचायतों में प्रचार प्रसार कराया गया

''एक युद्ध नशे के विरूद्ध''

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को मादक पदार्थ जैसे गांजा, अफीम, कोकीन, मारफीन एवं अन्य नशीली दवाईयो की बिक्री किया जाना पाया जाता है तो उसकी सूचना नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो द्वारा जारी टोल फ्री नंम्बर पर दी जा सकती है। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जायेगा।

टोल फ्री नम्बर

1933

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

Digital India
Power To Empower

Narcotics Control Bureau

MANAS
मादक पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र
National Narcotics Helpline

National Narcotics Helpline

24x7 TOLL-FREE
1933

समग्र भारत में ड्रग्स के विरुद्ध, आओ मिलकर लड़ें निर्णायक युद्ध

An Initiative of
Narcotics Control Bureau (NCB), Ministry of Home Affairs,
Government of India

About MANAS

The MANAS - National Narcotics Helpline Platform is a prestigious project for the Narcotics Control Bureau, Ministry of Home Affairs, Government of India to serve as a beacon for citizens to come forward and contribute collectively to the broader efforts to curb the menace of drug-related crimes.

The project has been designed and developed for NCB in collaboration with Digital India Corporation, Ministry of Electronics and Information Technology.

This exclusive 24x7 digital platform is dedicated to addressing a range of drug-related issues including drug trafficking, illegal sale/ purchase/ storage/ manufacturing, and illicit cultivation of narcotic drugs or psychotropic substances. At MANAS helpline **1933**, the identity of the informer & inputs provided will remain confidential.

MANAS is also integrated with the Ministry of Social Justice and Empowerment (MoSJE) Helpline **14446**, to facilitate counseling and drug rehabilitation assistance.

Our Mission:
Prevent and combat abuse and illicit traffic of drugs.

Our Vision:
Endeavour for a drug-free society

Submit your Tip for following activities

- **Drug Trafficking/ Peddling**
- **Counselling and Rehab**
- **Illicit Cultivation**
- **Miscellaneous/ Others**

Share Drug-Related Information with NCB without Revealing Your Identity

Platform Features

24/7 HELPLINE
Accessible via the toll-free number **1933**

SHARE INFORMATION
For drug trafficking/peddling, illicit cultivation, counseling & rehabilitation & other inputs through miscellaneous/other.

CONFIDENTIALITY
The identity of the informer will remain confidential.

COUNSELING & REHABILITATION
Through MANAS Helpline 1933

FAQs
Access Frequently Asked Questions for general queries & drug-related information.

BECOME AN INFORMER
Submit details to become an informer.

How to Share Drug related information with NCB:

Call : Call the Toll-Free Number of MANAS National Narcotics Helpline at **1933**

Email : Send an Email to MANAS National Narcotics Helpline at **info.ncbmanas@gov.in**

Portal : Report incidents using the MANAS Web Portal - **www.ncbmanas.gov.in**

Umang App : Download UMANG App & Browse MANAS

Expansion of MANAS Helpline with Zonal Units of NCB and Antii Narcotics Task Force (ANTF) of States and Union Territories Police Forces to establish a real-time information-sharing platform

30 NCB Zonal Units

36 ANTF of State and UT's

Scan the QR Code for Manas Portal

Share Information through UMANG Mobile App

Google Play Store

iOS Store

NCORD

NIDAAN

गृह मंत्रालय MINISTRY OF HOME AFFAIRS

आज़ादी का अमृत महोत्सव

Digital India Power To Empower

Follow us on:

बिन्दु संख्या–3

व्यापार कर एवं आबकारी विभाग संयुक्त रूप से जनपद सम्भल के राजमार्गों व अन्य जनपद से आने वाले मार्गों पर रोड चैकिंग के समय अवैध शराब व अन्य मादक पदार्थों की तस्करी के दृष्टिगत संदिग्ध वाहनो की सघनता से जाँच किये जाने हेतु निर्देश दिये गये। मुखबिर तंत्र विकसित कर मादक पदार्थों की तस्करी पर कठोर कार्यवाही की जाये। आगामी बैठक में निम्नलिखित प्रारूप में सूचना प्रस्तुत की जाय।

क.सं.	चेक किये गये वाहनों की संख्या	मादक पदार्थो के पकडे गये अभियोगों की संख्या एवं विवरण

अनुपालन आख्या बिन्दु सं.–3

राज्य व्यापार कर विभाग

सहायक आयुक्त (प्रभारी) राज्य कर, सचल दल चतुर्थ इकाई मुदादाबाद द्वारा अपनी अनुपालन आख्या दिनांक 15.09.2025 में अवगत कराया कि इस इकाई द्वारा माह अगस्त 2025 में कुल 1170 वाहनों की जाँच की गयी तथा 21 वाहन दोषी पाये गये, जिन पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही करते हुए अभिग्रहित मूल्य रू0 50.14 लाख के सापेक्ष रू0 29.18 लाख अर्थदण्ड जमा कराया गया। माह अगस्त 2025 में 480 संवेदनशील वस्तुओं के वाहनों की जाँच की गई, जिनमें से 13 वाहन नियम विरूद्ध परिवहन करते पाए गए, जिनसे अभिग्रहीत माल मूल्य 25.33 लाख रू० के सापेक्ष 17.37 लाख रू० कर/अर्थदण्ड जमा कराया गया। माह अगस्त 2025 में 1535 ई–वे बिल स्कैन किये गये तथा 192 बिलो को अपलोड किया गया। माह अगस्त 2025 में 29 परचून के वाहनों की चौकिंग की गई। माह अगस्त 2025 में आयरन स्टील के 36 वाहनों की जाँच की गयी, जिनमें से 07 दोषी वाहन पाये गये, जिनपर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अभिग्रहीत माल के मूल्य रू0 17.63 के सापेक्ष रू0 8.47 लाख अर्थदण्ड धनराशि जमा करायी गयी। माह अगस्त 2025 में वुड एण्ड टिम्बर के 12 वाहनो की चेकिंग की गयी, जिनमें से 02 दोषी वाहन पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अभिग्रहीत माल का मूल्य रू0 1.69 के सापेक्ष रू० 1.99 लाख अर्थदण्ड जमा कराया गया । माह अगस्त 2025 में मैन्था ऑयल के 05 वाहनों की जॉच की गयी, जिसमें 01 दोषी वाहन पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अभिग्रहीत माल मूल्य रू0 2.58 लाख के सापेक्ष रू0 2.90 लाख अर्थ दण्ड जमा कराया गया। पान मसाला के 01 वाहन की जॉच की गयी जिसमें कोई वाहन दोषी नही पाया गया। अन्य संवेदनशील वस्तुओं के 480 वाहनों की चौकिंग की गयी, जिनमें से 03 दोषी वाहनों पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अभिग्रहीत माल का मूल्य रू0 6.01 लाख के सापेक्ष 4.01 लाख अर्थदण्ड जमा कराया गया । उक्त वाहनो में से कोई भी वाहन मादक पदार्थ से सम्बन्धित नही था और न ही कोई जाँच के समय पाया गया भविष्य में यदि कोई मादक पादर्थ से सम्बन्धित वाहन जाँच के समय पाया जाता है, तो तत्काल सूचना महोदय की सेवा में सादर प्रेषित कर दी जायेगी ।

क.सं.	चेक किये गये वाहनों की संख्या	मादक पदार्थो के पकडे गये अभियोगों की संख्या एवं विवरण
1	1170	0

GST and Excise Department

बिन्दु संख्या–3 की अनुपालन आख्या

आबकारी विभाग

आबकारी विभाग के क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों द्वारा जनपद सम्भल के राजमार्गों पर पड़ने वाले ढाबों की चैकिंग गयी। अवैध मदिरा की तस्करी एवं मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री को पूर्णतः प्रतिबन्धित किये जाने हेतु निरंतर प्रवर्तन कार्यवाही एवं रोड चैकिंग की गयी, जिसमे अवैध मदिरा मादक पदार्थों की बिक्री नहीं पायी गयी। माह अगस्त 2025 में उक्त कार्यवाही के दौरान 499 स्थानों पर छापे मारे गये तथा 75 अभियोग पंजीकृत किये गये जिसमें 1613.60 ब.ली. अवैध मदिरा बरामद की गयी। क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों द्वारा स्वयं एवं व्यापार कर विभाग के साथ गवाँ–अनूपशहर मार्ग, चन्दौसी बहजोई मार्ग, सिरसी–सम्भल मार्ग, चन्दौसी बदायूँ मार्ग, बहजोई सम्भल मार्ग पर लगभग 68 वाहनों की रोड चैकिंग की गयी। उक्त कार्यवाही में भी कोई अन्य मादक पदार्थों की बरामदगी नहीं हुई है।

क.सं.	चेक किये गये वाहनों की संख्या	मादक पदार्थो के पकडे गये अभियोगों की संख्या एवं विवरण
1	68	0

Excise Department

बेटी पढ़ाओ
सावधान
सफर
HORN PLEASE
Chandausi, Chandausi, Sambhal, Uttar Pradesh, 244410, India
Lat: 28.412628, Long: 78.678793
2025/09/16, 10:39:17
Note: Captured by GPS Map Camera
GMT +05:30
31.7°C
167.1
-148.6
8.6 Km/h
61
1007.0 hPa
191.66
116.5

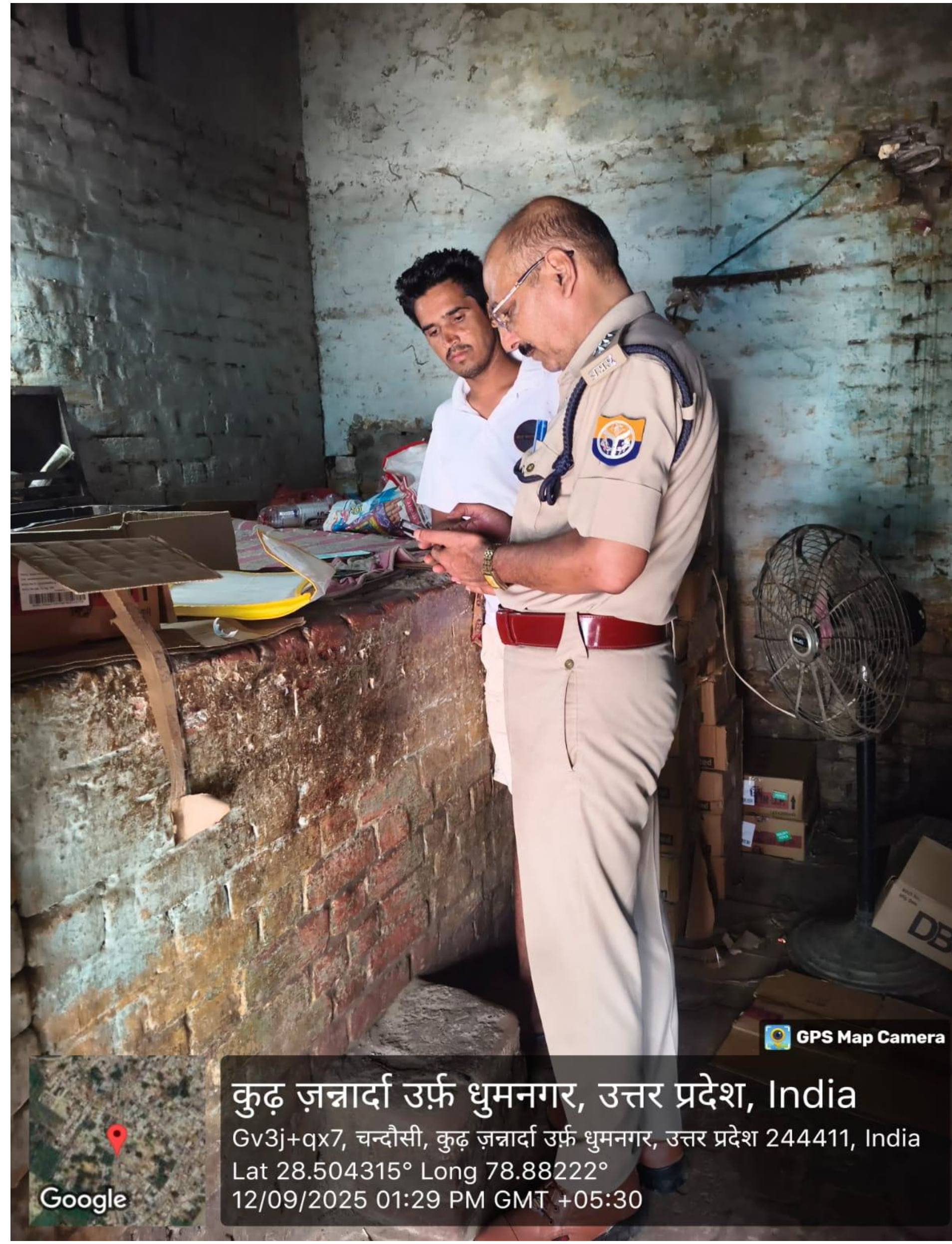
GPS Map Camera
Google
कुढ़ ज़न्नार्दा उर्फ़ धुमनगर, उत्तर प्रदेश, India
Gv3j+qx7, चन्दौसी, कुढ़ ज़न्नार्दा उर्फ़ धुमनगर, उत्तर प्रदेश 244411, India
Lat 28.504315° Long 78.88222°
12/09/2025 01:29 PM GMT +05:30

बिन्दु सं0–4

डॉक्टर द्वारा मरीजों को प्रेस्क्रिप्शन में दिये जाने वाले मनःप्रभावी औषधि अधिकतम एक सप्ताह की लिखी जाये तथा मेडिकल स्टोर्स द्वारा ग्राहक से प्रिस्क्रिप्शन व आई.डी. लेकर ही मनःप्रभावी औषधि की बिक्री की जाये तथा निम्नलिखित प्रारूप में सूचना प्रस्तुत की जाय।

(कार्यवाही मुख्य चिकित्साधिकारी/औषधि निरीक्षक)

क.सं.	अस्पताल/अन्य डॉक्टर का नाम	जॉच किये गये मेडिकल स्टोर्स का नाम

बिन्दु सं0–4 की अनुपालन आख्या

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद सम्भल ने अपने पत्रांक सी.एम.ओ./नारकोटिक्स/औषधि/2025–26/1845 दिनांक 25.08.2025 को अध्यक्ष, आई.एम.ए. सम्भल एवं चन्दौसी जनपद सम्भल को कार्यालय आयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या–ड्रग/8322/लखनऊ दिनांक 15.08.2022 के अन्तर्गत अंकित औषधियों को विक्रय एवं भण्डारण की सीमा निर्धारित की गयी है। चिकित्सकों द्वारा मरीजों को दिये जाने वाले प्रिस्क्रिप्शन में अधिकतम एक सत्पाह की दवाई लिखने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

अनुपालन आख्या बिन्दु सं0–4
औषधि विभाग

औषधि निरीक्षक जनपद सम्भल ने अपने पत्र दिनांक 15.09.2025 द्वारा अवगत कराया गया कि मेडिकल स्टोर्स का निरन्तर औचक निरीक्षण कर जांच की जा रही है कि डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन में लिखी अवधि की ही मनःप्रभावी औषधियाँ ही मरीजा को विक्रय की जा रही है। विभागीय व्हाट्सग्रुप के माध्यम से मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों से वार्तालाप कर तथा औषधि विक्रेताओं के साथ सभा करके शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने की प्रक्रिया जारी है। शहरी क्षेत्र के अधिकांश मेडिकल स्टोर्स पर कैमरे लगवा दिये गये हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कैमरे लगवाने की प्रक्रिया जारी है। इसके अतिरिक्त **''एक युद्ध नशे के विरूद्ध''** एवं **'केवल प्रिस्क्रिशन पर दवाईयाँ'** के बैनर प्रतिष्ठानों पर लगाकर नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोकथाम की जा रही है।

सम्भल जनपद में निरन्तर सघन निरीक्षण कर सीसीटीवी कैमरे लगवाने हेतु निर्देशित कर सी.सी0टी0वी कैमरे लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। विशेष जांच अभियान चलाकर विभिन्न मेडिकल मेडिकल स्टोर्स पर सीसीटीवी कैमरे की जांच की गयी। सीसीटीवी कैमरे न होने की दशा में फर्म स्वामी को अतिशीघ्र कैमरे लगवाकर सूचना दुकान के छायाचित्र सहित कार्यालय में देने हेतु निर्देशित किया गया। जनपद सम्भल में माह जुलाई 2024 से अगस्त 2025 तक कुल 1556 मेडिकल स्टोर्स पर 3112 सीसीटीवी कैमरे लगवाये जा चुके है।

''एक युद्ध नशे के विरूद्ध'' अभियान के प्रति जागरूकता के अन्तर्गत जनभागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है। इस संदेश के बैनर/पोस्टर मेडिकल स्टोर्स पर लगवाने हेतु आदेश जारी कर दिया गया है। इसी अभियान के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी द्वारा आम जनमानस को इस अभियान के प्रति जागरूक करते हुये अभियान के प्रति जागरूक करते हुये अभियान में सहयोग करने की अपील की गयी। **गत माह अगस्त 2025 में मुखबिर की गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस विभाग के साथ मिलकर अधोहस्ताक्षरी द्वारा गवां में 38 कोडीन सिरप नशा करने हेतु ले जाते हुये 02 व्यक्तियों को पकड़े जाने के उपरान्त बरामद माल सीज कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।**

क.सं.	मडिकल स्टोर्स का नाम/संख्या	पता
1	12	

बिन्दु संख्या–5

नशा मुक्ति केन्द की स्थापना की सूचना AIIMS को प्रेषित कर आवश्यक किया जाये। COTPA (Cigarettes and Other Tabacco Products Act.) अधिनियम के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों पर जुर्माना लगाकर वसूला गया की सूचना आगामी बैठक में उपलब्ध कराया जाये।

(कार्यवाही मुख्य चिकित्साधिकारी / उप मुख्य चिकित्साधिकारी)

क.सं.	अवधि	व्यक्तियों की संख्या	प्राप्त जुर्माना
1	2024–25		
2	2025–26		

अनुपालन

नशा मुक्ति केन्द की स्थापना की सूचना AIIMS को प्रेषित किये जाने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

COTPA (Cigarettes and Other Tabacco Products Act.) अधिनियम के अन्तर्गत **कार्यवाही की जा रही है।**

बिन्दु सं0–6

सामाजिक व आध्यात्मिक संस्थाऐं यथा गायत्री परिवार, ब्रह्मकुमारी प्रजापति द्वारा प्रत्येक कार्यक्रम में नशा मुक्ति भारत अभियान के अन्तर्गत **"एक युद्ध नशे के विरूद्ध"** का प्रचार–प्रसार किया जाय। समस्त आबकारी निरीक्षक जनपद सम्भल एवं गायत्री परिवार व ब्रह्मकुमारी प्रजापिता सामाजिक संस्था प्राइवेट स्कूलों/कालेज एवं मेडिकल कालेज /अन्य महाविद्यालयों में नशा मुक्ति का प्रचार–प्रसार एवं शपथ समारोह आयोजित कर विद्यार्थियों को नशा के विरूद्ध जागरूक करेंगे।

(कार्यवाही जिला विद्यालय निरीक्षक/समाज कल्याण विभाग
बेसिक शिक्षा अधिकारी सम्भल/आबकारी विभाग/गायत्री परिवार/ब्रहमकुमारी संस्था)

क.सं.	कार्यक्रम स्थल	आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग/शपथ करने व्यक्तियों की संख्या	कार्यक्रम का विवरण

बिन्दु संख्या–6 अनुपालन आख्या

समाज कल्याण अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला आबकारी अधिकारी सम्भल द्वारा नशा मुक्ति भारत अभियान के अन्तर्गत "एक युद्ध नशे के विरूद्ध" का प्रचार प्रसार कराया गया जनपद के स्कूलों/कालेजो में नशा मुक्ति कार्यक्रम आयोजित किये गये एवं नशा मुक्ति की शपथ करायी गयी।

क्र.सं.	कार्यक्रम स्थल	आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग/शपथ करने वाले व्यक्तियों /विद्यार्थियों की संख्या	कार्यक्रम का विवरण
1	समस्त परिषदीय विद्यालय जनपद सम्भल	125313	बेसिक शिक्षा अधिकारी, सम्भल द्वारा अपने अधीनस्थों के सहयोग से समस्त परिषदीय विद्यालय जनपद सम्भल प्रातः प्रार्थना सभा में शपथ ग्रहण समारोह, भाषण एवं प्रभात फेरी का आयोजन
2	196	148549	जिला विद्यालय निरीक्षक सम्भल द्वारा अपने अधीनस्थों के सहयोग से 196 विद्यालयों में शपथ ग्रहण कार्यक्रम कराये गये।
3	सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चन्दौसी जनपद सम्भल	220	आबकारी निरीक्षको द्वारा दिनांक 10.09.2025 को सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चन्दौसी जनपद सम्भल में नशा मुक्ति का प्रचार प्रसार किया गया तथा स्कूल में लगभग 220 विद्यार्थियो एवं अध्यापको नशा मुक्ति की शपथ दिलवायी गयी।

बिन्दु संख्या–7

जनपद में स्थित परिषदीय/कम्पोजिट/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा एवं नशा मुक्ति भारत अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रम/शपथ ग्रहण कराते हुए सूचना आगामी बैठक में प्रेषित करेंगें।

(कार्यवाही सामाजिक संस्था गायत्री परिवार एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी, सम्भल)

बिन्दु सख्ंया–7 की अनुपालन आख्या

बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला आबकारी अधिकारी सम्भल द्वारा नशा मुक्ति भारत अभियान के अन्तर्गत "एक युद्ध नशे के विरूद्ध" का प्रचार प्रसार कराया गया जनपद के स्कूलों/कालेजो में नशा मुक्ति कार्यक्रम आयोजित किये गये एवं नशा मुक्ति की शपथ करायी गयी।

क.सं.	कार्यक्रम स्थल	आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग/शपथ करने विद्यार्थियों की संख्या	कार्यक्रम का विवरण
1	समस्त परिषदीय विद्यालय जनपद सम्भल	125313	बेसिक शिक्षा अधिकारी, सम्भल द्वारा अपने अधीनस्थों के सहयोग से समस्त परिषदीय विद्यालय जनपद सम्भल प्रातः प्रार्थना सभा में शपथ ग्रहण समारोह, भाषण एवं प्रभात फेरी का आयोजन

बिन्दु संख्या–6 की अनुपालन आख्या

आबकारी निरीक्षको द्वारा दिनांक 10.09.2025 को सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चन्दौसी जनपद सम्भल में नशा मुक्ति का प्रचार प्रसार किया गया तथा स्कूल में लगभग 220 विद्यार्थियो एवं अध्यापको नशा मुक्ति की शपथ दिलवायी गयी।

अनुपालन आख्या बिन्दु संख्या–7
गायत्री परिवार

क्र.सं.	कार्यक्रम स्थल	आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग/ शपथ करने व्यक्तियों की संख्या	कार्यक्रम का विवरण
1	पी.एम.श्री स्कूल फतेहपुर	300	दिनांक 16.09.2025 को नशा मुक्ति कार्यक्रम के अतर्गत लगभग 300 बच्चों को शपथ दिलाई गयी कि नशा नहीं करेंगे। कार्यालय स्टॉफ के साथ स्कूल के बच्चों को नशे की हानियों के बारे में बताया गया तथा नशा मुक्त भारत बनाने सम्बन्धी बैनर स्कूल में लगाये गये।
2	पी.एम.श्री स्कूल बहलोलपुर गन्नौर	150	दिनांक 16.09.2025 को नशा मुक्त भारम अभियन के अन्तर्गत रैली निकाली गयी तथा लगभग 150 बच्चों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गयी। कार्यालय स्टॉफ के साथ स्कूल के बच्चों को नशे की हानियों के बारे में बताया गया तथा नशा मुक्त भारत बनाने सम्बन्धी बैनर स्कूल में लगाये गये।

पी. एम. श्री
उच्च प्राथमिक विद्यालय बहलोलपुर (1-8)
आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन करता है।
CREATING HOLISTIC & WELL-ROUNDED INDIVIDUALS EQUIPPED WITH THE KEY 21ST CENTURY SKILLS
EQUIPPING STUDENTS WITH ESSENTIAL SKILLS FORFUTURE EMPLOYMENT & GENERAL KNOWLEDGE

अनुपालन आख्या   बिन्दु संख्या–7

ब्रहमकुमारी संस्था

क्र.सं.	कार्यक्रम स्थल	आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग / शपथ करने व्यक्तियों की संख्या	कार्यक्रम का विवरण
1	सरस्वती विद्या मन्दिर इंटर कालेज बहजोई	90	नशा मुक्ति कार्यक्रम के अतर्गत लगभग 90 बच्चों को शपथ दिलाई गयी कि नशा नहीं करेंगे। कार्यालय स्टॉफ के साथ स्कूल के बच्चों को नशे की हानियों के बारे में बताया गया तथा नशा मुक्त भारत बनाने सम्बन्धी बैनर स्कूल में लगाये गये। कार्यक्रम में गायत्री परिवार के सदस्य एवं अध्यापक गण उपस्थित रहे।
2	लहरावन इन्टर कालेज, लहरावन	80	नशा मुक्त भारम अभियन के अन्तर्गत रैली निकाली गयी तथा लगभग 80 बच्चों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गयी। कार्यालय स्टॉफ के साथ स्कूल के बच्चों को नशे की हानियों के बारे में बताया गया तथा नशा मुक्त भारत बनाने सम्बन्धी बैनर स्कूल में लगाये गये।
3	हिंद इन्टर कालेज सम्भल	50	नशा मुक्त भारम अभियन के अन्तर्गत रैली निकाली गयी तथा लगभग 50 बच्चों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गयी। कार्यालय स्टॉफ के साथ स्कूल के बच्चों को नशे की हानियों के बारे में बताया गया तथा नशा मुक्त भारत बनाने सम्बन्धी बैनर स्कूल में लगाये गये।
4	आचार्य मुक्तिेश हकीम रसाई सरसवती इन्टर कालेज सम्भल	70	नशा मुक्त भारम अभियन के अन्तर्गत रैली निकाली गयी तथा लगभग 70 बच्चों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गयी। कार्यालय स्टॉफ के साथ स्कूल के बच्चों को नशे की हानियों के बारे में बताया गया तथा नशा मुक्त भारत बनाने सम्बन्धी बैनर स्कूल में लगाये गये।

ओम शान्ति
ओम शान्ति
एक युद्ध - नशे के विरुद्ध
नशा मुक्त भारत अभियान
प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय

HIND INTER COLLEGE, SAMBHAL
हिन्द इण्टर कॉलेज, सम्भल

सामाजिक संस्था ब्रह्माकुमारी

पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना श्रीअन्न योजना निपुण भारत तिथि भोजन मिशन शक्ति

कार्यालयः जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सम्भल।

पत्रांकः– बे.प्र./5781–88/2025–26, दिनांकः– 11 अगस्त, 2025

समस्त,
खण्ड शिक्षा अधिकारी,
जनपद सम्भल।

विषयः जनपद के समस्त परिषदीय विद्यालयों में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा आयोजित कराने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा दिनांकः 05.08.2025 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें अखिल विश्व गायत्री परिवार शान्तिकुंज हरिद्वार, उत्तराखण्ड, सनः 1994 से प्रतिवर्ष विद्यार्थियों में नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ज्ञान की वृद्धि के लिये **"भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा"** का आयोजन सम्पूर्ण भारतवर्ष में कराई जाती है। जिससे विद्यार्थियों का सर्वागीण विकास हो सके।

अतः उपर्युक्त के कम में निर्देशित किया जात है कि अपने अपने विकास खण्डों के समस्त परिषदीय/कम्पोजिट/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अखिल विश्व गायत्री परिवार शान्तिकुंज हरिद्वार, उत्तराखण्ड, से समन्वय बनाते हुये भारतीय संस्कृति ज्ञार परीक्षा का आयोजन कराया जाना सुनिश्चित करें।

(संलग्न–उक्तवत्)

(अलका शर्मा)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
सम्भल।

पृ.सं. :– बे.प्र./ ———— /2025–26, दिनांकः– उक्तवत्।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषितः–

1. शिक्षा निदेशक, बेसिक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, जनपद सम्भल।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जनपद सम्भल।
4. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
5. समस्त एस.आर.जी./ए.आर.पी. सम्भल।
6. समस्त प्र.अ./इ.प्र.अ., जनपद सम्भल।
7. गार्ड फाइल।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
सम्भल।

नशीली दवाओं के
दुरूपयोग और अवैध तस्करी
के विरूद्ध अपील

नशे से आजादी

**जीवन को हाँ कहें,
ड्रग्स को ना**

ड्रग्स का उपयोग और अवैध व्यापार
प्रतिबंधित एवं दण्डनीय है।
स्वापक नियंत्रण ब्यूरो
गृह मंत्रालय, भारत सरकार

(जिला आबकारी अधिकारी)	(वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक)	(जिलाधिकारी)
सम्भल	सम्भल	सम्भल

नशीली दवाओं के दुरूपयोग और अवैध तस्करी
के खिलाफ अभियान

नशे से आजादी

"जीवन को हाँ कहें, ड्रग्स को ना"

ड्रग्स का उपयोग और अवैध व्यापार प्रतिबंधित एवं दण्डनीय है।
स्वापक नियंत्रण ब्यूरो
गृह मंत्रालय, भारत सरकार

जिला आबकारी अधिकारी	पुलिस अधीक्षक	जिलाधिकारी
सम्भल	सम्भल	सम्भल

जिन्दगी चुनें नशा नहीं

नशा समस्याओं का निदान नहीं अपितु समस्याओं की जड़ है।

अतः आज ही नशा छोड़ने का संकल्प लें।

नशा नहीं खुशी अपनाइये

जिला मद्यनिषेध अधिकारी	जिला आबकारी अधिकारी	जिलाधिकारी
सम्भल	सम्भल	सम्भल

बिन्दु संख्या–08

COTPA (Cigarettes and Other Tabacco Products Act.) अधिनियम के तहत शत प्रतिशत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में बनाये गये प्रत्येक ''बाल संसद'' एवं ''प्रहरी क्लब'' द्वारा अपने स्कूल/कालेज में ''एक युद्ध नशे के विरूद्ध'' आयोजित कार्यक्रमों में किये गये कार्यो का विवरण फोटो सहित प्रस्तुत किया जाय। माह अगस्त 2025 एवं माह जुलाई 2024 से अद्यतन आयोजित कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार प्रारूप मे उपलब्ध कराये–

क्र.सं.	ग्रुप का नाम	बाल संसद/प्रहरी क्लब की संख्या	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग/शपथ करने वाले विद्यार्थियों की संख्या
1	बाल संसद			
2	प्रहरी क्लब			

(कार्यवाही जिला समाज कल्याण अधिकारी/
जिला विद्यालय निरीक्षक/बेसिक शिक्षा अधिकारी सम्भल)

अनुपालन आख्या बिन्दु सं.–8

समाज कल्याण अधिकारी, सम्भल के पत्र दिनांक 16.09.2025 के अन्तर्गत जिला विद्यालय निरीक्षक, सम्भल एवं जिला विद्यालय निरीक्षक सम्भल द्वारा प्रेषित आख्या के अन्तर्गत नशा मुक्त भारत अभियान योजना के अन्तर्गत COTPA अधिनियम के तहत एक युद्ध नशे के विरूद्ध जागरूकता कराये जाने हेतु माध्यमिक विद्यालयों में निम्नानुसार प्रहरी क्लब एवं बाल संसद में कार्यक्रम आयोजित किये गये।

क.सं.	**ग्रुप का नाम**	**बाल संसद/प्रहरी क्लब की संख्या**	**आयोजित कार्यक्रमों की संख्या**	**आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग/शपथ करने वाले विद्यार्थियों की संख्या**
1	बाल संसद	1289	1289	215884
2	प्रहरी क्लब	1346	1309	109754
	योग	2635	2598	325638

बिन्दु संख्या–09

जनपद में नशा मुक्त भारत अभियान के अन्तर्गत आयोजित सभी गतिविधियों और कार्यक्रमों को डी.पी.एम.यू. के माध्यम से सम्बन्धित वेबसाइट पर अपलोड किया जाये।

(कार्यवाही औषधि निरीक्षक/प्रभारी डी.पी.एम.यू. सम्भल/ जिला आबकारी अधिकारी सम्भल)

बिन्दु सख्या–09 की अनुपालन आख्या

जिला आबकारी अधिकारी, सम्भल द्वारा प्रभारी डी.पी.एम.यू. बहजोई के साथ सम्पर्क स्थापित कर जनपद सम्भल नशा मुक्त भारत अभियान की वेबसाईट बनवायी गयी है, जिसके अन्तर्गत आयोजित सभी गतिविधियों और कार्यक्रमों को डी.पी.एम.यू. के माध्यम से वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है।

''एक युद्ध नशे के विरूद्ध''

''नशा मुक्त भारत अभियान''

''नशे को ना जीवन को हाँ''

NCORD